

आदेश पत्रक - ता०.....से.....तक
जिला....., सं०....., सन् १९.....
केस का प्रकार.....

आदेश की क्रम संख्या किस तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख-सहित																											
१	२	३																											
१५/११/२०२३	<p align="center">आयुक्त न्यायालय, कोशी प्रमंडल, सहरसा</p> <p align="center">आबिट्रिशन वाद संख्या:-१३५/२०२१</p> <p align="center">शंकर विश्वास व अन्य.....आवेदनकर्ता</p> <p align="center">-बनाम-</p> <p align="center">राज्य.....रेसपॉण्डेन्ट</p> <p align="center">-:: आदेश ::-</p> <p>प्रस्तुत आबिट्रिशन वाद शंकर विश्वास, पिता-स्व० दशरथ विश्वास व अरहुल देवी, पति-श्री शंकर विश्वास दोनों सा०-सोनवर्षा, अंचल-सोनवर्षाराज, जिला-सहरसा के द्वारा राष्ट्रीय उच्च पथ संख्या-१०७ (महेशखुट-सोनवर्षा राज-सहरसा-मधेपुरा-पूर्णियाँ खण्ड तक) के लिए उनकी निम्न वर्णित अर्जित भूमि का सही रकवा निर्धारित नहीं किये जाने एवं किस्म "कृषि" निर्धारित करते हुए सक्षम प्राधिकार-सह-जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, सहरसा के द्वारा उचित प्रतिकर का निर्धारण नहीं किये जाने के विरुद्ध दायर किया गया है :-</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>मौजा/थाना नं०</th> <th>आता सं०</th> <th>खेसय सं०</th> <th>भूमि की प्रकृति</th> <th>रकवा (एकड़ में)</th> <th>कुल मुआवजा (रु० में)</th> <th>अभ्युक्ति</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">सोनवर्षा/ ११</td> <td>९१६,</td> <td>९२५,</td> <td>कृषि</td> <td>०.०८६४८७</td> <td>९,३२,६०५</td> <td>वाद सं०-०९/२०१९-२० पंचाट सं०-३६</td> </tr> <tr> <td>५३२</td> <td>९२४,</td> <td>कृषि</td> <td>०.०४१०</td> <td>१,७७,७२६</td> <td>वाद सं०-०४/२०१४-१५ पंचाट सं०-१०</td> </tr> <tr> <td>सोनवर्षा/ ११</td> <td>९१६,</td> <td>९२५,</td> <td>कृषि</td> <td>०.०१७३</td> <td>७४,९९२</td> <td>वाद सं०-०४/२०१४-१५ पंचाट सं०-१२</td> </tr> </tbody> </table> <p>आवेदक का मूल रूप से कहना है कि जिला भू-अर्जन कार्यालय, सहरसा से उपरोक्त प्रश्नगत भूमि के अधिग्रहण से सम्बन्धित नोटिस प्राप्त होने पर उन्हें पता चला कि आवेदक के अधिग्रहित किये गये भूमि का सही रकवा दर्ज नहीं है। साथ ही अधिग्रहण के समय जमीन की प्रकृति आवासीय होने के बावजूद उनकी भूमि का किस्म "कृषि" दर्ज करते हुए मुआवजा का निर्धारण किया गया है। आवेदक के द्वारा नोटिस प्राप्ति के</p>	मौजा/थाना नं०	आता सं०	खेसय सं०	भूमि की प्रकृति	रकवा (एकड़ में)	कुल मुआवजा (रु० में)	अभ्युक्ति	सोनवर्षा/ ११	९१६,	९२५,	कृषि	०.०८६४८७	९,३२,६०५	वाद सं०-०९/२०१९-२० पंचाट सं०-३६	५३२	९२४,	कृषि	०.०४१०	१,७७,७२६	वाद सं०-०४/२०१४-१५ पंचाट सं०-१०	सोनवर्षा/ ११	९१६,	९२५,	कृषि	०.०१७३	७४,९९२	वाद सं०-०४/२०१४-१५ पंचाट सं०-१२	
मौजा/थाना नं०	आता सं०	खेसय सं०	भूमि की प्रकृति	रकवा (एकड़ में)	कुल मुआवजा (रु० में)	अभ्युक्ति																							
सोनवर्षा/ ११	९१६,	९२५,	कृषि	०.०८६४८७	९,३२,६०५	वाद सं०-०९/२०१९-२० पंचाट सं०-३६																							
	५३२	९२४,	कृषि	०.०४१०	१,७७,७२६	वाद सं०-०४/२०१४-१५ पंचाट सं०-१०																							
सोनवर्षा/ ११	९१६,	९२५,	कृषि	०.०१७३	७४,९९२	वाद सं०-०४/२०१४-१५ पंचाट सं०-१२																							

पश्चात जिला भू-अर्जन कार्यालय, सहरसा को समर्पित अपने आपत्ति आवेदन को संलग्न करते हुए बताया गया कि उक्त आवेदन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। उनका कहना है कि उनकी भूमि में अभी भी चदरा का घर बनाया गया है, जिस पर वे अपना कारोबार करते हैं। उनका यह भी कहना है कि प्रश्नगत उनकी अधिग्रहित भूमि के ठीक सटे उत्तर सड़क के किनारे खेसरा सं०-१४३ है, जिसके अंश रकवा का अधिग्रहण हुआ है। उक्त भूमि के रैयत शंकर विश्वास पे०-विश्वनाथ विश्वास के नाम निर्गत नोटिस वाद सं०-०९/२०१९-२०, पंचाट सं०-४२ में जमीन का किस्म "आवासीय" दर्ज किया गया है। आवेदक का यह भी कहना है कि शंकर विश्वास, पिता-स्व० दशरथ विश्वास के नाम से केवाला सं०-३८४५ दिनांक १८.०३.२००६ द्वारा मौजा-सोनवर्षा, खाता (नया)-५३२, खेसरा (नया)-९२४, रकवा-०-२-० कट्टा (०९ डी०) जमीन तथा अरहुल देवी, पति-शंकर विश्वास के नाम से केवाला सं०-१३३३७ दिनांक १९.१२.२०१७ से नया खाता-९१६, खेसरा(नया)-९२५, रकवा-०-२-१३ (११.५७ डी०) धूर उनके द्वारा क्रय की गई तथा दाखिल-खारिज उपरान्त क्रमशः जमाबंदी सं०-२०७९ तथा २६९२ कायम हुआ तथा अद्यतन लगान रसीद भी कट रहा है। उनका कहना है कि उपरोक्त दोनों उनकी खरीदगी भूमि NH-१०७ के बिल्कुल पूरब किनारा में सटा हुआ है। उनका कहना है कि दोनों खेसरा के सम्पूर्ण भाग का अधिग्रहण हुआ है, किन्तु संबंधित पंचाट सं०-१०, १२ एवं ३६ से स्पष्ट हो जाता है कि उनके अधिग्रहित भूमि का सही रकवा दर्ज किये बिना प्रतिकर का निर्धारण कर दिया गया। उक्त के आलोक में आवेदकगण द्वारा भूमि की प्रकृति कृषि के स्थान पर आवासीय करते हुए पुनः सीमांकन करवा कर उनकी सम्पूर्ण अधिग्रहित रकवा के अनुसार प्रतिकर निर्धारित कर मुआवजा भुगतान करने का अनुरोध किया गया।

जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, सहरसा के पत्रांक ६८८-२ दिनांक २१.०६.२०२३ द्वारा वादगत भूमि के संबंध में प्रतिवेदित किया गया है कि राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, १९५६ की धारा-३० तथा ३० के तहत प्रकाशित अधिसूचना क्रमशः दिनांक १४.११.२०१५ एवं ०२.०५.०१६ में वादगत खेसरा ९२४ एवं ९२५ का किस्म / प्रकृति "कृषि" दर्ज है। तत्पश्चात समाहर्ता, सहरसा के पत्रांक ८१७-२/भू०अ०, दिनांक ०८.१२.२०२० के द्वारा गठित उचित प्रतिकर पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन समिति

द्वारा मौजा-सोनवर्षा/11 अन्तर्गत वादगत भूमि का स्थल निरीक्षणोपरान्त समर्पित प्रतिवेदन में खेसरा 925 का किस्म / प्रकृति "कृषि" अंकित है। राजस्व खतियान में खेसरा 924 को किस्म "धनहर-2" तथा 925 का किस्म "भीठ-2" अंकित है। उक्त के परिपेक्ष्य में छः सदस्यीय समिति से प्राप्त स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन के आलोक में प्रश्नगत खेसरा का किस्म "कृषि" के आधार पर विहित रीति से मूल्य की गणना कर राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा-3G के तहत उक्त भूमि के संशोधित प्राक्कलन को NHAI के द्वारा स्वीकृति दिये जाने के उपरांत पंचाट तैयार कर निर्धारित प्रतिकर की राशि प्राप्त करने के लिए सभी रैयतों को नोटिस निर्गत किया गया। तदालोक में उनके द्वारा आवेदकों की उक्त अर्जित भूमि के किस्म परिवर्तन एवं तदनुसार मुआवजा से संबंधित आवेदन को खारिज करने का अनुरोध किया गया है।

भारतीय राष्ट्रीय उच्च पथ प्राधिकरण की ओर से उनके विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा जवाब दाखिल करते हुए बताया गया कि वादगत भूमि के अधिग्रहण हेतु प्रकाशित गजट अधिसूचना-3(A) में भूमि का किस्म "कृषि" था। आवेदक के पुत्र पंकज विश्वास के द्वारा वादगत भूमि के किस्म के संबंध में आपत्ति किये जाने पर सक्षम प्राधिकार द्वारा स्थल जाँच किया गया तथा जाँचोपरान्त उक्त भूमि का किस्म कृषि पाते हुए उनके दावा को अस्वीकृत कर दिया गया। तत्पश्चात 3(D) अधिसूचना में भूमि का किस्म कृषि प्रकाशित किया गया। उनका कहना है कि आवेदक के द्वारा अपने आवेदन में किये गये दावा के समर्थन में वर्णित भूमि के सम्परिवर्तन (Change in land use) से संबंधित सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत कोई प्रमाण-पत्र संलग्न नहीं किया गया है। समाहर्ता, सहरसा की अध्यक्षता में गठित छः सदस्यीय समिति के स्थल निरीक्षण के समय भी भूमि पर कृषि कार्य हो रहा था, जिस कारण छः सदस्यीय समिति के द्वारा भूमि का किस्म "कृषि" पाये जाने के कारण उनके प्रतिवेदानुसार वादगत भूमि के प्रतिकर का निर्धारण नियमानुसार किया गया। उनसे प्राप्त प्रस्ताव को सक्षम प्राधिकार से स्वीकृति दिये जाने के उपरान्त आवेदक को प्रतिकर की राशि प्राप्त करने हेतु नोटिस किया गया। अधिग्रहण के समय भूमि का किस्म विशुद्ध रूप से कृषि था, तदालोक में उनके द्वारा इस वाद को खारिज करने का अनुरोध किया गया है।

सभी पक्ष को सुनने, अभिलेख में संलग्न सुसंगत सभी कागजातों/दस्तावेजों के अवलोकनोपरान्त यह स्पष्ट है कि धारा-3A के तहत प्रकाशित अधिसूचना में प्रश्नगत खेसरा-924 एवं 925 का किस्म/ प्रकृति

कृषि दर्ज है। तत्पश्चात् अपीलार्थिगण की ओर से दायित्व आपत्ति आवेदन के आलोक में समाहर्ता, सहरसा की अध्यक्षता में छः सदस्यीय उचित प्रतिकर पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन समिति द्वारा स्थल निरीक्षण के दौरान प्रश्नगत भूमि का किस्म कृषि पाते हुए उनके आपत्ति आवेदन को अस्वीकृत किया गया है। मौजा सोनवर्षा, थाना नं०-11 की कृषि भूमि का मूल्य MVR में 700000/- (सात लाख) रु० प्रति एकड़ निर्धारित है। तदनुसार प्रश्नगत भूमि के किस्म "कृषि" के आधार पर 9,80,898/- (नौ लाख अस्सी हजार आठ सौ अनठानवे) रु० प्रति एकड़ की दर से RFCTLARR Act-2013 एवं RFCTLARR Rules-2014 के प्रावधानानुसार मुआवजा/ प्रतिकर की गणना करते हुए मुआवजे का निर्धारण किया गया है, जिसे पुनरीक्षित करने का कोई आधार एवं औचित्य नहीं है। इसी के साथ आवेदक के दावे को खारिज करते हुए वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है। आदेश की प्रति सभी संबंधितों को भेजे।

लेखापित एवं संशोधित।

आयुक्त

कोशी प्रमंडल, सहरसा।

आयुक्त

कोशी प्रमंडल, सहरसा।